

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्यपूरक प्रमाण-पत्र)

(राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और पदार्थ की प्रणाली

(1) वोल्टता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए0सी0/डी0सी0

वायरिंग का प्रयोजन

वायरिंग का प्रकार (बटन, कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियाँ

फिफाभत उन्ना
 जी.मौ. ६३१६३
 ए० अशय २३६ वी० अशय २३६ ए० १५४६
 तैव

२३० वोल्ट

३

३०००

वायरिंग

३०००

| | 220/230 वोल्ट्स | | | | | | 400/440 वोल्ट्स | | उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थान | |
|--------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|
| | फेज-1 | | फेज-2 | | फेज-3 | | | | | |
| | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल क्षमता | संख्या | कुल क्षमता |
| (I) | | | | | | | | | | |
| (1) बत्तियों के प्वाइंट | 2 | 120 | | | | | | | | |
| (2) पंखों का प्वाइंट | | | | | | | | | | |
| (3) प्लग प्वाइंट | | | | | | | | | | |
| (4) मोटरें/जनरेटर्स | | | | | | | | | | |
| (पूर्ण ब्यौरा दिया जाये) | | | | | | | | | | |
| मोटे 348 योग | 2 | 120 | | | | | 1 | 348 | | २.२५ किलो |
| | | | | | | | 1 | 348 | | |

(II) Main Texmo

अन्य उपस्कार (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में- 34.8

अधिकतम करेन्ट मांग एम्पियर में- 16.4

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

(2)

विद्युत का रि.....विद्युत रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान समय-समय पर विनिर्मित किया जाय।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-

| फेज-1 व अर्थ | फेज-2 व अर्थ | फेज-3 व अर्थ |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| (I) फेज एवं अर्थ के बीच | | |
| (II) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच | | |
| फेज-1 व अर्थ | फेज-2 व अर्थ | फेज-3 व अर्थ |
| (III) तारों के मध्य- | | |
| नियम- 29- | | |

(I) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संख्या PGH-121 की व्यवहार संहिता के अनुसार है।

(II) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।

(III) बतायें कि समस्त विद्युमन्य (जीवन्त) चालकों द्वारा लगाये गये हैं।

नियम- 32-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थाई प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक का विद्युमन्य (जीवन्त) चालकों से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण पत्र)

मैं/हम मे0 साईं इलेक्ट्रिकल्स लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स संख्या PGH-121 निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं कि -

(अ) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(स) संस्थापक कार्य भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है।

वायर मैन का नाम श्री ललित कुमार पाल परमिट संख्या- 41811 वैधता तिथि- 27-08-2024

अप्रिन्टस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

विद्युत ठेकेदार के फर्म का नाम

मे0 साईं इलेक्ट्रिकल्स

पूरे नरसिंहभान, भंगवा चुंगी, प्रतापगढ़

लाइसेन्स संख्या-121

लाइसेन्स श्रेणी-"ग"

वैधता का दिनांक: 20.11.23.....24

मे0 साईं इलेक्ट्रिकल्स

ठेकेदार के हस्ताक्षर

[Signature]

घोषणा**(उपभोक्ता द्वारा की जाय)**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद् लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्राविधानों के अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता.....16.....एम्पियर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद् लाइसेन्सी द्वारा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक: 12/11/23

[Signature] 30/11/23
उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर**परीक्षण रिपोर्ट****(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)**

विद्युतरोधी प्रतिरोधों का परिणाम

फेज-1 व अर्थफेज-2 व अर्थफेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थफेज-2 व अर्थफेज-3 व अर्थ

(2) तार एवं अर्थ के बीच-

विद्युत संस्थापना में पाई गई कमियाँ (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

(1)

(2)

(3)

(4)

दिनांक:

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता

का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

INDIAN ELECTRICITY RULES 1956

Statement in regard to the Compliance with the requirements of rule 33, 50, 51 and 61

The attention of the consumer is drawn to the rules mentioned above in regard to the supply of energy at medium pressure, sanction to use of energy at this pressure can not be given unless all provision of the said rules have been completed with the consumer must submit this form in duplicate along with treasury challan after replying and signing each of the following questions both my himself and be the electrical contractor who has done the wiring work of the suppliers office for verification. If the installation on test and verification is found in order it will be connected and the statement will be counter signed by the supplier and forwards to the Electrical Inspector to Government of Uttar Pradesh for Final inspection and test

| Questions | Reply | Owners Signature | Remarks of the Electrical Inspector |
|--|-------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (a) Have you affixed departmentry in a conspicuous position a caution notice in Hindi with word "सावधान" on a sheet or on plate of not less than "12x9" size in red letters on white background [Rule 35(a)] | | | Yes/No |
| (b) In a suitable iron-cased linked switch or circuit breaker or request capacity to carry and break the current placed in each conductor as a near as possible to but after the point commencement of supply? [Rule 50(1)(1)] | | | Yes/No |
| (c) Have you installed a suitable iron-cased linked switch or circuit breaker of requested capacity in such a position as to be adjacent to the motor or other apparatus readily accessible to and easily operate by the person in charge to cut off the supply from the motor or apparatus etc. [Rule 50(1)(a)] | | | Yes/No |
| (d) Are all conductors completely enclosed in mechanically strong metal casing or metal covering? [Rule 50(1)(a)] | | | Yes/No |
| (e) Has a clear space of not less than 3 feet been provided in front of the switch board? [Rule 51(1)(c)(1)] | | | Yes/No |
| (f) If there are any attachments of bare connections of the back of the switch boards is the space behind the switch board less than 9 inches or more than 30 inches in width. [Rule 51(1)(c)(ii)] | | | Yes/No |
| (g) If the space behind the switch board exceeds 30 inches in width is there a passage way clear height of 6 feet? [Rule 51(1)(c)(ii)] | | | |
| (h) Has the frame of your motor or metallic parts of all transformers and any other apparatus used for regulating or controlling energy earthed by two separate and distinct connection with earth? [Rule 61(21)] | | | Yes/No |
| (i) What is the earth resistance of earth connection. | | | |
| (ii) Licensers earth. | | | |
| (iii) Consumer earth. | | | |
| (j) Have you deposited the prescribed fee for the inspection by the Electrical Inspector, Under the head. | | | Yes/No |

दिनांक 3 एप्रिल

✓

043 विद्युत पर कर एवं शुल्क
102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क।

T.C.No.

Date.....

